उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-719/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.258-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(321)-2024

लखनऊः दिनांकः 03 ~~अगस्त~~ सितंबर, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0 -2-843/ ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक 30.06.2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

1. क्रम संख्या 9घ और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ड.	अध्याय 99	इन माध्यमों से रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा व्यक्तियों को दी जा रही सेवाएं- (क) प्लेटफॉर्म टिकटों का विक्रय; (ख) विश्राम कक्ष/प्रतीक्षालयों की सुविधा; (ग) अमानती घर सेवाएं; (घ) बैटरी चालित कार सेवाएं	शून्य	शून्य
9च	अध्याय 99	रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अधीन किसी जोन/मंडल द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अधीन किसी अन्य जोन (जोनों)/मण्डल (मण्डलों) को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य
9छ	अध्याय 99	विशेष प्रयोजन यानो(एसपीवी) द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को रियायती अवधि के दौरान उनके द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे का प्रतिफल के सापेक्ष उपयोग करने की सेवाएं और एसपीवी निमित और स्वामित्व वाले उक्त बुनियादी ढांचे के संबंध में रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा एस.पी.वी. को रियायती अवधि के दौरान प्रतिफल के सापेक्ष पूर्ति की गयी रख रखाव की सेवाएं।	शून्य	शून्य

(ख) क्रम संख्या 12 में,

(एक) स्तम्भ (2) में, शब्द और अंक "शीर्षक 9963 या" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) स्तम्भ (3) में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1, जो इस प्रकार पुर्नसंख्यांकित किया गया है, के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा-

"स्पष्टीकरण 2.-इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-

(क) विद्यार्थी आवासों में विद्यार्थियों के लिए वास-सुविधाएं;

(ख) होस्टल्स, शिविर, पेइंग गेस्ट वास-सुविधायें और इसी प्रकार के प्रदान की जाने वाली अन्य वास-सुविधायें ।";

(ग) क्रम संख्या 12 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12क	शीर्षक 9963	प्रति माह प्रति व्यक्ति बीस हजार रुपये से कम या उसके बराबर पूर्ति मूल्य वाली वास-सुविधा सेवाओं की पूर्ति परन्तु यह कि यह वास-सुविधा न्यूनतम नब्बे दिनों की निरन्तर अवधि के लिए पूर्ति की गई हो ।	शून्य	शून्य"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुयी समझी जाएगी।

आज्ञा से,

Signed by
M Devaraj
Date: 03-09-2024 15:46:26

(एम0 देवराज)
अपर मुख्य सचिव।